



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 466 राँची, शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

4 अगस्त, 2022

संख्या-05/एफ-03/29/2012- 3509--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन एवं झारखण्ड फायर सर्विस एक्ट, 1948 की धारा-22 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद द्वारा झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 में संशोधन हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-

- यह संशोधन झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी ।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. नियमावली, 2011 के खण्ड-3, नियम-09 को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है-

9 अभ्यर्थियों की अनुशंसा

“आयोग/भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों के लिखित एवं शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर समेकित रूप से एक कोटिवार मेधा सूची तैयार करेगी। ऐसी तैयार की गई सूची में से आयोग/बोर्ड कोटिवार उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा नियुक्ति पदाधिकारी को करेगा जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गई हैं।

मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् स्नातक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।”

3. नियमावली के खण्ड-4, नियम-13(ग) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है-

13. प्रोन्नति द्वारा भर्ती:-

(ग). कालावधि:- प्रोन्नति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्र/परिपत्र के द्वारा निर्धारित कालावधि पूरा करना आवश्यक होगा।

4. नियमावली के अनुसूची- II, क्रमांक-01 को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है

1. फायर स्टेशन ऑफिसर (संवर्ग-अलिपिकीय) के पद पर सीधी भर्ती नियम:-

(क) फायर स्टेशन ऑफिसर के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता :-

अनिवार्य योग्यता :-

- (i) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

- (ii) (क) भारी वाहन चलाने के लिए वैद्य लाईसेन्स धारक।

अथवा

(ख) हल्का वाहन चलाने के लिए वैध लाईसेंस धारक हो। परंतु नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी को एक वर्ष के भीतर भारी वाहन चलाने का वैध लाईसेंस प्राप्त कर अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को जमा करना होगा। एक वर्ष के अंदर भारी वाहन का वैध लाईसेंस जमा नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

- (iii) फायर स्टेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के दो वर्षों के अन्दर राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से “स्टेशन अधिकारी कोर्स” का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) शारीरिक योग्यता**ऊँचाई****सीना की माप**

- | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| (i) सामान्य जाति | 165 से०मी० | 81 से०मी० |
| (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 165 से०मी० | 81 से०मी० |
| (iii) अनुसूचित जाति/जन-जाति | 162 से०मी० | 79 से०मी० |

उम्मीदवारों के ऊँचाई एवं सीना की माप आयोग द्वारा राँची जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जायेगा।

(ग) उम्र सीमा:-

क्र०सं०	वर्ग	न्युनतम उम्र	अधिकतम उम्र
1	अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	21 वर्ष	28 वर्ष
2	पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	21 वर्ष	30 वर्ष
3	अनु० जाति/अनु० जनजाति/आदिम जनजाति	21 वर्ष	33 वर्ष

(घ) चिकित्सकीय जाँच:-

नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने की अनिवार्यता रहेगी। चिकित्सीय जाँच हेतु पुलिस अवर निरीक्षक की नियुक्ति में निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

(इ) लिखित परीक्षा :-

- (i) लिखित परीक्षा का आयोजन “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन नियमावली, 2017 (यथा संशोधित 2021))” के प्रावधानों के अंतर्गत किया जायेगा एवं समय-समय पर इसमें किए गए संशोधन स्वतः लागू माने जायेंगे।
 - (ii) विशिष्ट विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, बनस्पतिशास्त्र, जीवविज्ञान, तथा भूगर्भशास्त्र विषय होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार विशिष्ट विषयों में से किसी एक विषय का चयन परीक्षा हेतु करेगा, जिसमें वह सम्मिलित होगा। विशिष्ट विषय का स्तर स्नातक होगा।
 - (iii) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदों की विज्ञापित संख्या से दो गुणा संख्या में अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच परीक्षा हेतु चयनित किया जायेगा।
 - (iv) लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा।
5. नियमावली के अनुसूची II, क्रमांक-05 को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है-

5. अपील:-

- (i) यदि कोई उम्मीदवार अपने उँचाई/सीना की माप से संतुष्ट नहीं हो तो वह तीन दिनों के अन्दर महानिरीक्षक, झारखण्ड अग्निशमन सेवा, रांची के समक्ष अपील कर सकेगा। इस मामले में महानिरीक्षक, झारखण्ड अग्निशमन सेवा, रांची का निर्णय अंतिम होगा।
 - (ii) यदि कोई उम्मीदवार अपनी चिकित्सा जाँच से संतुष्ट नहीं हो तो वह तीन दिनों के अन्दर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा। इस मामले में अपीलीय प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा।
 - (iii) यदि कोई उम्मीदवार वाहन चालन जाँच से संतुष्ट नहीं हो वह तीन दिनों के अन्दर महानिरीक्षक, झारखण्ड अग्निशमन सेवा, रांची के समक्ष अपील कर सकेगा। इस मामले में महानिरीक्षक, झारखण्ड अग्निशमन सेवा, रांची का निर्णय अंतिम होगा।
6. नियमावली के अनुसूची II, क्रमांक-07 को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है-
 7. **अनुशंसा:-** झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अभ्यर्थियों की चयन सूची अनुशंसा सहित गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायेगी, जिसे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड अग्निशमन सेवा, राँची को फायर स्टेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/अहर्ता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा। अनुशंसित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों की जाँचोपरान्त संतुष्ट होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।
 7. नियमावली के अनुसूची II, क्रमांक-08 (ii) एवं क्रमांक-09 (i) को विलोपित किया जाता है।
 8. झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सरिता दास,
सरकार के उप सचिव।
